



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1/17333

जयपुर, दिनांक : 31-08-2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 15007 दिनांक 18.08.2020 एवं आदेश 15195 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति तिथि में कार्यग्रहण करने की अवधि के अभिवृद्धि हेतु निवेदित की गयी समय सीमा तक अवधि के विस्तार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यग्रहण करने की अवधि में अभिवृद्धि की जाती है:-

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के लिए अवधि की अभिवृद्धि
1	श्रीमती मीनाक्षी	लाडनू, नागौर	3 माह के लिए
2	श्रीमती हेमलता वेदवाल	किशनगढ़, अजमेर	3 माह के लिए
3	श्रीमती सावित्री मीणा	उनियारा, टोंक	4 माह के लिए
4	श्रीमती परवीन मीणा	सीमलवाड़ा, डूंगरपुर	4 माह के लिए
5	श्री महेश कुमार जांगिड़	शाहपुरा, भीलवाड़ा	4 माह के लिए
6	श्री राम यादव	बारां	1 माह के लिए
7	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पहाड़ी, भरतपुर	3 माह के लिए
8	श्रीमती रेखा गर्ग	जैसलमेर	4 माह के लिए
9	सुश्री ललिता घोरिया	मकराना, नागौर	4 माह के लिए
10	श्री ताराचन्द जान्दु	नीम का थाना, सीकर	15 दिवस के लिए
11	श्रीमती/सुश्री ममता कुमारी पाटीदार	गलियाकोट, डूंगरपुर	07 दिवस के लिए
12	श्रीमती/सुश्री कामिनी प्रजापति	आबू रोड़, सिरोही	6 माह के लिए
13	श्रीमती प्रियंका भारद्वाज	सांभर लेक, जयपुर	03 माह के लिए

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1/17334-63

जयपुर, दिनांक : 31-08-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता.....।
5. प्रोग्रामार महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.